

## भारत में बड़ी बलिली प्रजातियों से संबंधित चुनौतियाँ

यह एडिटोरियल 02/08/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित ["Big concerns over big cats"](#) लेख पर आधारित है। इसमें बाघों के संरक्षण और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिमिस के लिये:

[प्रोजेक्ट टाइगर, 1973, टाइगर रजिस्टर, भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\), प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट लेपरड, सनो लेपरड, चीता पुनर्वास परियोजना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972।](#)

### मेन्स के लिये:

बाघों को समर्थन देने के क्रम में भारत की वन क्षमता के सीमा तक पहुँचने से संबंधित चिताएँ।

भारत का विशाल भूदृश्य बड़ी बलिली प्रजातियों (**big cat species**) की उपस्थिति से संपन्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रजाति शक्ति, भव्यता और देश की प्राकृतिक विविधता से अपनी निता को प्रकट करती है। घने जंगलों में विविध करने वाले रॉयल बंगल टाइगर से लेकर उच्च हिमालय में अपनी छाप रखने वाले हमि तेंदुए तक, ये शीरण शक्तियाँ जीव न केवल भारत की जैव विविधता के प्रतीक हैं बल्कि संवेदनशील पारस्परिकी संतुलन के संरक्षक भी हैं। उनकी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को चिह्नित करते हुए भारत ने वर्ष 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' (Project Tiger) नामक एक दूरदृशी पहल की शुरुआत की थी, जो बड़ी बलिलीयों और उनके प्रयावासों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

[भारतीय वन्यजीव संस्थान \(Wildlife Institute of India\)](#) और [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(National Tiger Conservation Authority\)](#) द्वारा भारत के बाघ अभ्यारण्यों (tiger reserves) के लिये तैयार की गई 'भारत में बाघ अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation- MEE), 2022 (पाँचवाँ चक्र) रिपोर्ट' इस संबंध में हुई प्रगति और चुनौतियों की एक महिनति तस्वीर पेश करती है। भारत में जंगली बाघों की आबादी वर्ष 2006 के 1,400 से बढ़कर 3,167 होने के साथ चिताएँ उभर रही हैं, जहाँ इस बढ़ती संख्या को संभाल सकने की देश की वन क्षमता के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।

### प्रोजेक्ट टाइगर:

- परिचय:
  - बाघ परियोजना या 'प्रोजेक्ट टाइगर' भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है।
- उद्देश्य:
  - बाघों के प्रयावासों में कमी लाने वाले कारकों पर नियन्त्रण करना और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा इनका शमन करना।
  - अधिकतम संभव सीमा तक प्रारसितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाने के लिये प्रयावास को हुई क्षतिका पुनरुद्धार करना।
  - आरथकि, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक और पारस्परिकी मूल्यों के लिये व्यवहार्य बाघ आबादी को सुनिश्चित करना।

### प्रोजेक्ट टाइगर से प्राप्त लाभ:

- बाघ संख्या की पुनर्प्राप्ति:
  - प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्राथमिक उद्देश्य बाघों की आबादी में गरिवट की प्रवृत्ति को उलटना था।
  - समर्पण संरक्षण प्रयावासों के माध्यम से इस परियोजना ने देश भर में नामति बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या में सफलतापूर्वक वृद्धिदर्ज की है।
    - आबादी में यह वृद्धि न केवल प्रजातियों को संरक्षित करती है बल्कि पारस्परिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान करती है।
- प्रयावास संरक्षण:
  - प्रोजेक्ट टाइगर बाघ प्रयावासों की सुरक्षा पर बल देता है, जिसका पूरे पारस्परिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - यह परियोजना इन भूदृश्यों की सुरक्षा कर अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों और जीवों की एक वसितृत शृंखला को लाभ पहुँचाती है, जो

अस्ततिव के लिये इन प्रयावासों पर नरिभर हैं।

- यह जैव विविधिता और पारस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।

- **आरथकि मूल्य और प्रयटन:**

- बाघ आकर्षक बड़े जीव (megafauna) हैं जो दुनिया भर से प्रयटकों को आकर्षित करते हैं। बाघों की आबादी के संरक्षण में परियोजना की सफलता से प्रयावरण-प्रयटन (eco-tourism) में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिये और देश के लिये राजस्व का सृजन हुआ है।


- यह आरथकि लाभ स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

- **पारस्थितिकी संतुलन:**

- बाघ शीर्ष शकिरी जीव हैं जो पारस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका नभाते हैं।
- **शकिर (prey)** की आबादी को नियंत्रित करके, वे अतंचिरण (overgrazing) पर नियंत्रण रखते हैं और शाकाहारी प्रजातियों के स्वास्थ्य को प्रबंधित करने में मदद करते हैं।
  - बदले में, इसका वनस्पति और अन्य पशु आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक स्वस्थ पारस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।


- **की-स्टोन प्रजातियों का संरक्षण:**

- बाघों को की-स्टोन प्रजाति (Keystone Species) माना जाता है क्योंकि उनकी उपस्थितिया अनुपस्थितियों के पारस्थितिकी तंत्र की संरचना को बहुत रूप से प्रभावित कर सकती है।
  - की-स्टोन प्रजाति की अवधारणा वर्ष 1969 में प्राणी विज्ञानी रॉबर्ट टी. पेन (Robert T. Paine) द्वारा पेश की गई थी, जो ऐसी प्रजातियों को इंगति करती है जो अपनी बहुतायत के सापेक्ष अपने प्राकृतिक प्रयावरण पर असमान रूप से बहुत प्रभाव डालती है।
  - प्रोजेक्ट टाइगर बाघों का संरक्षण कर अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की संरक्षा करता है जो खाद्य जाल के तहत एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
    - इससे पारस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।



# Big cat count

According to the data released by the PM, the number of tigers in India increased by 200 in the past four years. A look at the tiger population



**Steady rise:** A tiger at Van Vihar National Park in Bhopal on Sunday. PTI

//

## प्रोजेक्ट टाइगर से संबंध चुनौतियाँ:

- पर्यावास हानि और वर्खिंडन:
  - तीव्र शहरीकरण, अवसंरचना विकास और कृषि विस्तार के कारण पर्यावास की हानि हुई है और उनका वर्खिंडन हुआ है।  
● इससे बाघों की गतिविधियों के लिये जगह की कमी होने से उनके लिये बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष:
  - बाघ पर्यावासों के संकुचन और मानव आबादी के विस्तार के साथ मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएँ बढ़ी हैं।  
○ बाघ पशुधन या यहाँ तक कि मिनुष्यों पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे प्रतशोध में उनकी हत्याएँ की जा सकती हैं और बाघ संरक्षण के बारे में नकारात्मक धारणाएँ पैदा हो सकती हैं। स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और बाघ संरक्षण के बीच संतुलन रखना एक कठनी चुनौती है।
- अवैध शक्ति और अवैध वन्यजीव व्यापार:
  - संरक्षण पर्यावासों के बावजूद, अवैध शक्ति एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक चकितिसा में बाघ के अंगों की मांग और इनका अवैध व्यापार इस प्रजाति के लिये खतरा उत्पन्न करता है।  
○ इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिये शक्तिरियों और तस्करों के विद्युतीय प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
- पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी का अभाव:
  - वर्खिंडन पर्यावासों में बाघों की पृथक आबादियों को आनुवंशिक बाधाओं और नमिन आनुवंशिक विविधता जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है।  
○ आनुवंशिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बाघों को वभिन्न क्षेत्रों के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकने का अवसर देने के लिये इन आबादियों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिये गलियारों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:
  - बदलती जलवायु परस्थितियों बाघों के पर्यावास और शक्ति की उपलब्धता को बदल सकती हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर असर पड़े।

सकता है।

- परोजेक्ट टाइगर को इन परविरतनों के अनुकूल होने और बाघों एवं उनके पारस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये जलवायु प्रत्यास्थथा रणनीतियाँ (climate resilience strategies) को शामिल करना चाहयि।

- **सीमित सामुदायिक भागीदारी:**

- सफलता के लिये संरक्षण पर्यावरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूरण है। हालाँकि सीमित सामुदायिक भागीदारी और बाघ अभ्यारण्यों से होने वाले सीमित लाभों के कारण संरक्षण पहल के लिये प्रतिरोध और समर्थन की कमी की स्थितिभी बन सकती है।
- **संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष:**
  - बाँधों या सड़कों जैसी विकास परियोजनाओं के साथ संरक्षण लक्ष्यों को संतुलित करने से संघर्ष की स्थितिबिन सकती है।
  - मानवीय आवश्यकताओं और प्रयावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूरण कार्य है।

## बाघों का समर्थन कर सकने में वन क्षमता की सीमितता से जुड़ी चिताएँ:

- **संरक्षण क्षेत्रों से बाहर विचरण:**
  - बाघों की लगभग 30% आबादी संरक्षण क्षेत्रों के बाहर विचरण करती है और नियमित रूप से मानव-प्रवेश करती है, जिससे मानव-बाघ संघर्ष की स्थितिबिनती है।
- **स्किउर्ड बाघ गलियारे:**
  - रेलवे लाइनों, राजमार्गों और नहरों जैसे रेखाकि अवसंरचना के निर्माण के परिणामस्वरूप बाघ गलियारे स्किउर्ड गए हैं, जो दो बड़े वन क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवश्यक पट्टी के रूप में कार्य करते हैं।
- **मानव-प्रवान भूदृश्यों में प्रवेश:**
  - माना जाता है कि बाघ उन शाकाहारी जीवों की तलाश में वनों से बाहर नकिल आते हैं जो मानव-प्रवान भूदृश्यों में अधिक प्रवेश करने लगे हैं।
  - यह व्यवहार पंचफूली या 'लैंटाना' (Lantana) जैसी आक्रामक प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों के अधिग्रहण से प्रेरित है, जो प्राकृतिक परियोजनाओं को बाधित कर रही हैं और शाकाहारी वन्यजीवों को मनुष्यों के निवास क्षेत्रों में खाद्य की तलाश में आने के लिये विशेष होना पड़ता है।
- **वहन क्षमता:**
  - बाघों की बढ़ती आबादी के साथ, यह सवाल खड़ा हुआ है कि किया भारत के वन इन शीर्ष शक्तियों का वहन कर सकते हैं अपनी क्षमता की अंतिम सीमा के नकिट पहुँच रहे हैं।
- **असमान वितरण:**
  - जबकि भारत में 75,000 वर्ग किमी. में वसितृत 53 बाघ अभ्यारण्य हैं, बाघ संरक्षण के लिये आरक्षणीय क्षेत्र का एक तहिई हस्सा 20 अभ्यारण्यों के द्वारे में आता है, जिससे बाघ जनसंख्या के असमान वितरण की स्थितिबिनती है।
- **मानव-बाघ संघर्ष:**
  - अक्षम/वृद्ध जंगली बाघों को खाना खलिने एवं उनका बचाव करने, बाघ प्रयावरणों को कृत्रिम रूप से समृद्ध करने और 'समस्याजनक' बाघों ('problem' tigers) को स्थानान्तरित करने जैसे समाधानों के माध्यम से उभरते मानव-बाघ संघर्षों को हल करने का प्रयास किया गया है।

## भारत में बड़ी बलिली प्रजातियों के लिये कार्यान्वयिता प्रमुख संरक्षण प्रयास:

- **'प्रोजेक्ट लायन':**
  - गंभीर रूप से संकटग्रस्त (critically endangered) इश्यार्ड शेर प्रजाति के संरक्षण के लिये शेर संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट लायन (Project Lion) शुरू किया गया, जो मुख्य रूप से गुजरात के गरि वन राष्ट्रीय उद्यान पर केंद्रित है।
  - यह पहल प्रयावास प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान, अवैध शक्तिकार वरिष्ठी उपायों और सामुदायिक भागीदारी पर बल देती है। इसका उद्देश्य इश्यार्ड शेरों की एक स्थानीय और वृद्धशील बढ़ती आबादी सुनिश्चित करना है।
- **'प्रोजेक्ट लेपरड':**
  - तेंदुओं के व्यापक वितरण और उनकी अनुकूलनीय प्रकृतिको ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्ट लेपरड (Project Leopard) शुरू किया गया है।
  - इसमें तेंदुओं की आबादी की निगरानी करना, मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करना और संरक्षणीय क्षेत्रों एवं गलियों के माध्यम से उनके प्रयावरणों को संरक्षित करना शामिल है।
- **इमि तेंदुआ संरक्षण (Snow Leopard Conservation):**
  - भारत के हमिलयी भूदृश्य हमि तेंदुए के लिये प्रयावास का निर्माण करते हैं। इनके संरक्षण प्रयावरण में प्रयावास संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, अनुसंधान और अवैध शक्तिकार वरिष्ठी उपाय करना शामिल हैं।
  - पङ्कोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग से उच्च क्षेत्रों में रहने वाले इस शक्तिकारी जीव को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
- **चीता पुनःप्रवेश परियोजना (Cheetah Reintroduction Project):**
  - भारत ने वलिप्त हो चुकी चीता प्रजातिको उनके मूल प्रयावास में पुनःस्थापित करने के लिये कदम उठाया है। इसमें उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करना, परियोजनाकी तंत्र को पुनरब्हाल करना और व्यवहार्य चीता आबादी को पुनःस्थापित करने एवं बनाए रखने में उत्तपन्न संभावति चुनौतियों का समाधान करना शामिल है।
- **वधिन और नीतिगत ढाँचा:**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे अधिनियम बड़ी बलिली प्रजातिके संरक्षण के लिये कानूनी आधार प्रदान करते हैं। येकानून शक्तिकार अवैध शक्तिकार और वन्यजीवों (एवं उनके व्युत्पन्न उत्पादों) के व्यापार को नियंत्रित करते हैं।

## आगे की राह:

- पर्यावास संरक्षण और पुनरस्थापन को सुदृढ़ करना:
  - जनसंख्या वृद्धि और आनुवंशिक विविधता के लिये पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों की पहचान की जाए और उन्हें आगे के अतिक्रमण से बचाया जाए।
  - परत्यास्थी और परस्पर जुड़े पारस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये पर्यावास पुनर्बहाली पर्यासों (पुनर्वनीकरण और आक्रमक प्रजातियों को हटाने सहित) में निवेदित किया जाए।
- अवैध शक्तिवाली उपायों को सुदृढ़ करना:
  - अवैध शक्तिवाली वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये आधुनिक तकनीक, खुफिया नेटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से कानून प्रवरत्न को सशक्त किया जाए।
  - अपराधियों/उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर दंड लागू किया जाए और अवैध वन्यजीव व्यापार नेटवर्क के उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर कार्य किया जाए।
- सतत/संवहनीय मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना:
  - ऐसे समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल विकसित और कार्यान्वयिता किया जाएँ जो स्थानीय समुदायों को संरक्षण पर्यासों में शामिल करें, उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें और मानव-वन्यजीव संबंध को कम करने में मदद करें।
  - मानव-बाघ संघर्ष को कम करने और मनुष्यों एवं वन्य जीवों दोनों के लिये सुरक्षा बढ़ाने के लिये पूरव-चेतावनी प्रणाली जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया जाए।
- जलवायु-परत्यास्थी रणनीतियों को एकीकृत करना:
  - बांधों के पर्यावास और शक्तिवाली उपलब्धता पर जलवायु परविरत्न के प्रभावों को कम करने के लियां अभ्यासण्यों के तहत जलवायु अनुकूलन योजनाएँ विकसित की जाएँ।
  - ऐसे बफर ज्ञान संधारित किया जाएँ जो चरम मौसमी घटनाओं के दौरान वन्यजीवों के लिये शरणस्थली के रूप में कार्य कर सकें।
- वहन क्षमता संबंधी चित्तियों का समाधान करना:
  - भारत के बनों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिये व्यापक अध्ययन आयोजित किया जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाए कि बांधों की वरतमान और भविष्य की आवादी सतत/संवहनीय बनी रहे।
  - आनुवंशिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और बांधों को फलने-फूलने में सक्षम बनाने के लियां गलियारों के निर्माण एवं पुनर्बहाली को प्राथमिकता दी जाए।

अभ्यास प्रश्न: 'प्रोजेक्ट टाइगर' की भूमिका एवं प्रभावशीलता की चर्चा करते हुए भारत में बड़ी बलिली प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा विवित वर्षों के प्रश्न (PYQ)

### ?????????????:

प्रश्न. नमिनलखिति बाघ आरक्षति क्षेत्रों में "क्रांतिकी बाघ आवास (Critical Tiger Habitat)" के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? (2020)

- (a) कॉर्बेट  
(b) रणथंभौर  
(c) नागरजुनसागर-शरीरैलम  
(d) सुंदरबन

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- "क्रांतिकी बाघ आवास (Critical Tiger Habitat), जैसे टाइगर रिजिस्ट्रेशन कोर क्षेत्र भी कहा जाता है, की पहचान वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम (डबलयूएलपी), 1972 के अंतर्गत की गई है। वैज्ञानिक परमाणों के आधार पर, अनुसूचित जनजातियों ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किया बना ऐसे क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के लिये सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।
- क्रांतिकी बाघ आवास की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा उद्देश्य पूर्ति के लिये गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से की जाती है।
- कोर/क्रांतिकी बाघ आवास क्षेत्र:

  - कॉर्बेट (उत्तराखण्ड): 821.99 वर्ग किमी
  - रणथंभौर (राजस्थान): 1113.36 वर्ग किमी
  - सुंदरबन (पश्चिम बंगाल): 1699.62 वर्ग किमी
  - नागरजुनसागर शरीरैलम (आंध्र प्रदेश का हस्तिसा): 2595.72 वर्ग किमी
  - अतः विकल्प (c) सही है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/big-cats-challenge-in-india>

